अग्रणी होम्स व डीडीएल पर रेरा की सख्ती, नोटिस जारी

कार्रवाई

संवाददाता, पटना

रेरा ने अग्रणी होम्स व डीडीएल कंपनी पर नोटिस जारी कर कार्रवाई की है. शनिवार को जारी आदेश में रेरा ने अग्रणी होम्स पर कार्रवाई करते हुए कहा है कि अग्रणी होम्स ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 में ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी है. इसके साथ इन दो वर्षों में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट नहीं देने पर भी रेरा ने सख्ती दिखायी है. रेरा ने कहा है कि अग्रणी होम्स ने एक सप्ताह के भीतर किस प्रोजेक्ट पर कितनी राशि ली गयी है, किस प्रोजेक्ट का कितना भाग पूरा हुआ है और इसके अलावा इस किस प्रोजेक्ट पर कितनी देनदारी है, इसकी रिपोर्ट भी एक सप्ताह के भीतर जमा किया जाये. साथ ही अग्रणी होम्स को लेकर पूर्व में दिये गये आदेश पर एक सप्ताह के भीतर अनुपालन करने को कहा गया है. वहीं, पूर्व में अग्रणी होम्स पर हो रहे मामलों की एक साथ सुनवाई को अब प्रोजेक्ट वार सुनवाई की जायेगी. 15 जून से रेरा की डबल बेंच लगातार सुनवाई करेगी.

15 अगस्त तक गलतियों को ठीक कराये डीडीएल : रेरा ने रियल इस्टेट कंपनी डीडीएल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड पर भी शिकंजा कसा है. शनिवार को दिये आदेश में रेरा ने कहा है कि कंपनी के दो प्रोजेक्ट अग्रनी वुड और फर्स्ट सिटी के पंजीकरण में जितनी भी गलतियां हुई हैं, उसे 15 अगस्त तक ठीक कर लिया जाये. सभी प्रोजेक्टों पर हो रहे डेवलपमेंट मसलन सड़क, नाला आदि का ब्योरो एक सप्ताह के भी रेरा को सर्मपित किया जाये. साथ ही सभी प्रोजेक्टों पर जिन लोगों को जमीन बेची गयी है, उसे 30 जून के भी दाखिल-काबिज कराया जाये. इसके अलावा प्रोजेक्ट के नक्शा पास करने कराने का पांच वर्ष अवधि समाप्त होने के बाद अब तीन सप्ताह के भीतर कंपनी नये सिरे से नक्शा पास करने का आवेदन पटना महानगर योजना प्राधिकार के पास करें.

आगे भी होगी सुनवाई : डीडीएल मामले में रेरा ने अपने सुनवाई में कहा है कि पटना जिले के अख्तियारपुर गांव वाले प्रोजेक्ट पर एक सप्ताह में लोगों को जमीन पर कब्जा दिया जाये.

Scanned with CamScanner